भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2185

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का निपटारा

2185 श्री वाइको :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया है और लोक अदालतों, ग्राम न्यायालयों, मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्रों आदि के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) की अवधारणा के मुद्दों पर चर्चा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा/ परिणाम क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने लाखों लोगों को न्याय दिलाने और लंबी कानूनी कार्यवाही के बिना शिकायतों के निपटारे की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) और (घ) : सरकार का यह प्रयास है कि न्यायपालिका और विधायिका मामलों के भार में कमी करने और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए साथ-साथ कार्य करें । सरकार, माध्यस्थम् और मध्यकता सहित एडीआर तंत्रों की अभिवृद्धि कर रही है, चूंकि यह तंत्र कम विरोधात्मक है और मामलों का निपटारा करने की पारंपरिक पद्धतियों का बेहतर प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए सक्षम है । एडीआर तंत्र के प्रयोग से न्यायपालिका के भार में कमी भी

अपेक्षित है और इस प्रकार देश के नागरिकों को समय पर न्याय परिदान उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।

सरकार ने वाणिज्यिक विभागों का शीघ्र समाधान और वादकारियों के लिए युक्तियुक्त खर्च सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया है । वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को संस्थन-पूर्व मध्यकता और निपटारा (पीआईएमएस) तंत्र का उपबंध करने के लिए वर्ष, 2018 में संशोधित किया गया था । इस तंत्र के अधीन जहां विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद में कोई अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष अपेक्षित नहीं होता है, पक्षकारों को न्यायालय में जाने से पहले पीआईएमएस के आज्ञापित उपचार का प्रयोग करना होता है । इसका उद्देश्य पक्षकारों को मध्यकता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने का अवसर प्रदान करना है ।

सरकार ने माध्यस्थम कार्यवाही के समय पर निष्कर्ष, माध्यस्थम प्रक्रिया में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप, माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन और देश में संस्थागत माध्यस्थम् को मजबूत करने को सुनिश्चित करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का संकेत देने के लिए वर्ष 2015, 2019 और 2021 में माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया है।

सरकार ने मध्यकता पर एकमात्र विधि अधिनियमित करने के लिए तारीख 20.12.2021 को राज्यसभा में मध्यकता विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया है । विधेयक का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विवादों, वाणिज्यिक या अन्यथा के समाधान के लिए मध्यकता को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना, मध्यकता निपटारा करारों का प्रवर्तन करना और भारतीय मध्यकता परिषद की स्थापना करना हैं ।

****